

फर्द अहकाम  
(नियम - 26)

लय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ ( जिला - अनूपगढ़ )

विराजंत सिंह बनाम करतार सिंह

संज्ञागत धारा 88, 188 R.T.A

संख्या 143 सन् 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/345

सीख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/ दिनांक
10 16/23	आज प्रार्थी/ वादी की ओर से एक प्रार्थना/ वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/ प्रतिवादी को जरिये नोटिस/ सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 10/11/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
10 11/23	पत्रावली पेश हुई 10 लाख रुपय का फर्द अनूपगढ़ पत्रावली दिनांक 09-11-23 को पेश हो।	
10 12/23	पत्रावली आज दिनांक 21/12/23 को वादी व वादी की ओर से वकील मोहित कापल प्रतियोगी संघ के साथ राजीनामा देने पर राजीनामा पेश किया शामिल मिलान किया गया। वादी की ओर से वाद में आग्रामी कोई कार्यवाही नहीं चाही है। वाद नोट जेस किया गया। वकील वादी द्वारा हस्तातर वादी के प्रमाणित किए गए वाद नोट जेस के आधार परीक्षा पर खारिज किया जाता है। वाद फैसला हुआ है। फैसला ग्राहक है व दर्ज नम्बर ख नम है। 2 (सुमित्रा बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	विराजंत सिंह I By me Mhit 27/12/23